

## नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा

### प्रेस विज्ञप्ति

एन0सी0आर0 क्षेत्र की वायु गुणवत्ता कुप्रभावित होने से रोकने हेतु ई0पी0सी0ए0 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 09.12.2019 को नौएडा प्राधिकरण में वर्क सर्किल-1 से 10 के अन्तर्गत जोनल रोड नं0-3, 8, राष्ट्रीय सहारा से नेहरू युवा केन्द्र, रोड़, सभी रोड सैक्टर-18, 75मी0 चौड़ी रोड (सैक्टर-71-72 क्रॉसिंग से डी.एस.सी. रोड), 75मी0 चौड़ी रोड (डी.एस.सी. रोड से ऐक्सप्रेस-वे सैक्टर-105 अण्डरपास) सर्विस रोड सैक्टर-98 की तरफ, सैक्टर-62 एवं 63 के मध्य रोड नं0-6, टी0पी0 नगर क्रॉसिंग, एफ0एन0जी0 रोड, ममूरा से लेकर चौक, फोर्टिस से इण्डस वैली, रोड नं0-8, सैक्टर-62, गडी गोल चक्कर, सैक्टर-63 एवं 69 की रोड़, सैक्टर-65 एवं 69 की रोड़, सैक्टर-52, 53 एवं 61 के मध्य सड़क, सैक्टर-24 पुलिस स्टेशन के सामने, मोरना बस डिपो सैक्टर-35, सैक्टर-33ए, सैक्टर-66-71 एवं 67-70 के मध्य सड़क, सैक्टर-67 एवं 68 डी0एस0 रोड के मध्य सड़क, कोण्डली रोड से सैक्टर-11 से एम.पी.-2 रोड, पुलिस स्टेशन सैक्टर-58 के सामने, सैक्टर-57 एवं 58, 61, 52 एवं 71, आन्तरिक रोड सैक्टर-71, गिझोड़ रोड से खोड़ा टी-पॉइंट से एम.पी.-3 रोड, 24मी0 चौड़ी रोड, सैक्टर-88 और 45मी0 चौड़ी रोड सैक्टर-83, एफ.एन.जी. रोड सैक्टर-115 एवं बिसरख रोड, अण्डरपास सैक्टर-71, सैक्टर-76 एवं 77 का मध्य रोड, सैक्टर-74, 76 एवं 117 के मध्य रोड, एफ0एन0जी0 रोड सैक्टर-112, सैक्टर-108, सैक्टर-105 एवं हाजीपुर अण्डरपास, सैक्टर-104, 30मी0 चौड़ी रोड सैक्टर-124, सैक्टर-124 एवं 125 के मध्य 45मी0 चौड़ी रोड, सैक्टर-127 एवं 128 के मध्य 45मी0 चौड़ी रोड, शिव नादर स्कूल एवं गोल्डन पाल्म सैक्टर-168 के निकट 30मी0 चौड़ी रोड, 30मी0 चौड़ी रोड पैरलल से पुस्ता असगरपुर की साईड सैक्टर-128, 45मी0 चौड़ी रोड से सिंचाई नाले से छपरौली कट सैक्टर-168 तक, पुस्ता रोड सैक्टर-94 से रायपुर कट की दोनों साईड, पुस्ता रायपुर कट से सैक्टर-94, सैक्टर-145, 148, 150, 152, 159 पर कुल 45 टैंकरों के माध्यम से लगभग 77.335 किमी0 लम्बाई में पानी का छिड़काव किया गया। खुले में निर्माण सामग्री रखने एवं निर्माण कार्य करते हुये प्रदूषण सम्बंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर धनराशि रुपये 1,65,000/- (रुपये एक लाख पैंसठ हजार मात्र) की पेनल्टी अधिरोपित की गई है। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 57 मार्गों पर लगभग 192.00 किमी0 लम्बाई में मैकेनिकल मशीनों के माध्यम से सड़कों की सफाई करायी गई। ई0पी0सी0ए0 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में समस्त निर्माण सम्बंधी कार्यों पर तत्काल रोक लगा दी गई है तथा उल्लंघनकर्ताओं पर निरन्तर पेनल्टी अधिरोपित की जा रही है।